न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद।
प्रकीर्ण वाद संख्या–2541/22
डा० विजय सिंह बनाम अज्ञात।

अपराध सं०–291/21
धारा–332, 353, 504, 427 भा०द०सं०
थाना–उत्तर जिला फिरोजाबाद

दिनांक–05–08–2025

पत्रावली पेश हुई।

पुकारा गया पुकार पर कोई उपस्थित नही।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण मे विवेचक द्वारा अन्तिम आख्या प्रेषित किये जाने पर वादी मुकदमा को नोटिस जारी किया गया, किन्तु वादी मुकदमा उपस्थित नही आया और न ही उसकी ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत की गयी। विवेचक द्वारा साक्ष्य के अभाव में मामले में अन्तिम आख्या प्रस्तुत की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा अपराध सं०–291/21 धारा–332, 353, 504, 427 भा०द०सं० थाना–उत्तर जिला फिरोजाबाद पर पंजीकृत कराया गया था। वाद विवेचना विवेचनाधिकारी द्वारा उक्त मामले मे न्यायालय में अन्तिम आख्या प्रेषित की गयी है। इस सम्बन्ध में केस डायरी के सम्यक अवलोकन से प्रकट होता है कि विवेचना गुण दोष के आधार पर निष्पादित की गयी है तथा कोई नवीन तथ्य संज्ञान मे नही आया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के सरकुलर सं० 31/2012 एडमिन जी–II, इलाहाबाद दिनांकित 11–12–2012 तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद आपराधिक प्रकीर्ण याचिका सं० 2520/2012 प्रदीप कुमार श्रीवास्तव बनाम स्टेट आफ यू०पी० व अन्य अन्तर्गत धारा 482, 378, 407 दं०प्र०सं० में पारित आदेश दिनांकित 27–07–2012 तथा माननीय उच्च न्यायालय के सरकुलर /पत्रांक सं० 10435 दिनांकित 3–9–2014 एवं पत्रांक सं० 420/2015 दिनांकित 17–01–2015 के अनुपालन में प्रश्नगत अन्तिम आख्या सं०–204/23 दिनांकित 25–07–2023 स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(नरेश कुमार दिवाकर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
फिरोजाबाद।
JO CODE NO UP2143